न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 217/2025

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थी**

प्रार्थी	अप्रार्थी
1. कानाराम पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी धाकड़ी तह0 सोजत जिला पाली राज0।	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. **प्रार्थी स्वयं उपस्थित।**
2. **तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

–ः निर्णय ः– दिनांकः – 20/8/25

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सुरायता, प0ह0 सुरायता, भू–अ0नि0 क्षेत्र सुरायता तह0 सोजत में खाता सं0 57 में प्रार्थी का नाम कन्यालाल पुत्र शंकरलाल के स्थान पर कानाराम पुत्र शंकरलाल राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट चाही गई। उक्त त्रुटि के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने के संबंध में पटवारी हल्का सुरायता, भू0अ0नि0 सुरायता मय तहसीलदार सोजत की अनुशंषा सहित रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार सरहद मौजा सुरायता, प0ह0 सुरायता, भू–अ0नि0 क्षेत्र सुरायता तह0 सोजत में खाता सं0 57 में प्रार्थी का नाम कन्यालाल पुत्र शंकरलाल के स्थान पर कानाराम पुत्र शंकरलाल राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 20/08/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)